



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26092026-276525
CG-MH-E-26092026-276525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5097]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 5097]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 25 सितम्बर, 2026

का.आ. 5304(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-20'क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेलमंत्रालय (रेलवेबोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 24 (अ), तारीख 13 जनवरी 2026, जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्यप्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "उज्जैन-फतेहाबाद अमान परिवर्तन नाम की विशेष रेलपरियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा-20'क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् अक्षर विश्व, में और अग्निबाण में तारीख 23 जनवरी 2026, को प्रकाशित किया गया था। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया। धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-20(ड) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी।

अनुसूची						
मध्यप्रदेश राज्य के उज्जैन ज़िले में विशेष रेल परियोजना उज्जैन-फतेहाबाद अमान परिवर्तन नाम की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण						
ग्राम :- चिंतामण जवासिया						
तहसील :- उज्जैन						
जिला :- उज्जैन						
क्रम संख्या	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नंबर	अर्जित भूमि का रकबा	भूमि का प्रकार निजी/शासकीय	भूमि की प्रकृति कृषि/पडत / व्यववर्तित	भूमि सिंचित /असिंचित
1	शरतचंद दत्तक पिता गणुजीपता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	228	0.4195	निजी	व्यवसायिक	सिंचित
2	गणेश प्रसाद पिता लक्ष्मी नारायण जाती ब्राह्मण पता चिंतामण जवासिया उज्जैन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	229/1	0.0040	निजी	व्यवसायिक	सिंचित
3	गणेश प्रसाद पिता लक्ष्मी नारायण जाती ब्राह्मण पता चिंतामण जवासिया उज्जैन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	229/2/2	0.0030	निजी	व्यवसायिक	सिंचित
4	गणेश प्रसाद पिता लक्ष्मी नारायण जाती ब्राह्मण पता चिंतामण जवासिया उज्जैन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	229/3	0.0010	निजी	व्यवसायिक	सिंचित
5	अशोक पिता रमेशचंद जाती ब्राह्मण पता चिंतामण जवासिया उज्जैन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	260/1/1	0.6034	निजी	व्यवसायिक	सिंचित
6	मध्यप्रदेश शासन	213/933	0.0528	शासकीय	पडत	असिंचित
7	श्री राम मंदिर स्थित व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान	252	0.0186	शासकीय	कृषि	असिंचित

[फा. सं. ई-504970-06]

धीरज कुमार, मुख्य अभियन्ता निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September, 2026

S.O. 5304(E).— Where as by the Notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 24(E), dated 13 January 2026, published in Gazette of India Extraordinary. Part II, section-3, Sub-section (ii), of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, has declared its intention to acquire the land specified in the Schedule.

annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, **“Ujjain–Fatehabad Gauge Conversion”**, in Ujjain District of the State of Madhya Pradesh.

And where as, the substance of the said Notifications was published in **Akshar Vishva, & Agnibaan** on 23 **January 2026**, under sub-section (4) of Section 20A of the said Act. And, where as, Nil objection has been received by the competent authority.

And, where as, in pursuance of sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed here to shall be acquired for the afore said purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section **20 (E)** of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

LAND SHEDULE						
Brief details of the land, with or without structures, to be acquired for the Special Railway Project named “Ujjain–Fatehabad Gauge Conversion” in Ujjain District of the State of Madhya Pradesh.						
Village- Chintaman Jawasiya						
Thesildar :- Ujjain						
District :- Ujjain						
S.N	Land owner's name	Survey number	Area of acquired land	Type of land: Private/ Government	Nature of the land: agricultural/fallow/ converted	Irrigated/Unirrigated land
1	Sharat Chand, Adoptive Father: Ganuji, resident of Ujjain, Madhya Pradesh – Land Owner	228	0.4195	Private	Commercial	Irrigated
2	Ganesh Prasad, Father: Laxmi Narayan, Caste: Brahmin, resident of Chintaman Jawasiya, Ujjain, Madhya Pradesh – Land Owner	229/1	0.0040	Private	Commercial	Irrigated
3	Ganesh Prasad, Father: Laxmi Narayan, Caste: Brahmin, resident of Chintaman Jawasiya, Ujjain, Madhya Pradesh – Land Owner	229/2/2	0.0030	Private	Commercial	Irrigated
4	Ganesh Prasad, Father: Laxmi Narayan, Caste: Brahmin, resident of	229/3	0.0010	Private	Commercial	Irrigated

	Chintaman Jawasiya, Ujjain, Madhya Pradesh – Land Owner					
5	Ashok, Father: Ramesh Chand, Caste: Brahmin, resident of Chintaman Jawasiya, Ujjain, Madhya Pradesh – Land Owner	260/1/1	0.6034	Private	Commercial	Irrigated
6	Government of Madhya Pradesh	213/933	0.0528	Govt.	पडत	Unirrigated
7	Shri Ram Temple, through the Manager/Administrator, Collector, District Ujjain, Devasthan	252	0.0186	Govt.	Agricultural	Unirrigated

[F. No. E-504970-06]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer Construction-IV